न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 101/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– दिनेश पुत्र स्व0 सुखाराम 2– कैलाश पुत्र स्व0 सुखाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम आसोप तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर 3– साबु पुत्री स्व0 सुखाराम पत्नी प्रकाशराम जाति जाट निवासी ग्राम रदोड, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर		1– मूलाराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी ग्राम आसोप तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 2– तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर **प्रफार्मा पक्षकार** 1– यूको बैंक मैनेजर, शाखा आसोप, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 32/2017 अनवान मूलाराम बनाम दिनेश वगैरा में दिनांक 23–12–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री बी0एस0 भंवरिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री आर0पी0चौधरी रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 6–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 मूलाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कां इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम आसोप चक द्वितीय के खसरा नंबर 3804 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा भूमि वक्त जागीर प्रार्थी के खातेदारी की थी । उक्त भूमि को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 (वर्तमान अपीलांटगण) के पूर्व पुरूष को दे दिया था । वर्तमान मे उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है । प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि ग्राम आसोप के खसरा नंबर 4022/3804 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि पूर्व मे वक्त बंदोबस्त सरकारी खाते मे यानि अलावा जोत काबिल काश्त आई हुई थी । उक्त भूमि पर प्रार्थी का वक्त बंदोबस्त भौतिक रूप से कब्जा काश्त था लेकिन राजस्व कर्मचारियो की भूल से प्रार्थी के खातेदारी मे वक्त बंदोबस्त इन्द्राज होने से रह गई थी बाद मे तत्कालीन तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 19–7–1967 को आदेश पारित कर प्रार्थी के पक्ष मे आंवटन नियमन किया गया था, जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का है । जिसके अनुसार उक्त दोनो खसरा नंबर वक्त सेटलमेंट से अलग अलग खसरे थे तथा वक्त सेटलमेंट दोनो का रकबा भी अलग अलग था परंतु दोनो खसरान का नक्शा सेटलमेंट कर्मचारियो की भूल से शामलाती बना दिया । उक्त नक्शा 28 बीघा 19 बिस्वा का शामलाती बना दिया था परंतु मौके पर दक्षिण हिस्सा 3804 का था व उतरी हिस्सा

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

4022/3804 का था तथा वक्त सेटलमेंट से लगातार मौके पर उपरोक्त स्थिति अनुसार पक्षकार काबिज काश्त है तथा दोनो पक्षकारो के बीच मे उक्त दोनो खसरान के बीच मे भूमि बांटने वाली माठ कायम है तंथा उक्त माठ पर वक्त सेटलमेंट से पुराने पेड पोधे खडे है । इसप्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी के पूर्व पुरूषो द्वारा आज से करीब 15 वर्ष पूर्व गांव के मौजूद मौतबिरान के रूबरू उपरोक्त दोनो खसरान की पैमाईश कर माठे कायम की गई थी जिसका एक आपसी समझोता लिखत मे तैयार किया गया था जिसमे पक्षकारान व मौतबिरान के हस्ताक्षर भी कराये गये थे । पक्षकारान के दोनो खेत अलग अलग होने के बावजुद एवं दोनो के बीच माठ कायम होने के उपरांत भी राजस्व कर्मचारियो के द्वारा मात्र पास बुक मे तरमीम कर प्रार्थी को नक्शा दे दिया था लेकिन नक्शा लट्ठा ट्रेस मे भूलवश तरमीम करना रह गई थी जिसके लिए प्रार्थी ने राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार शिविर दिनांक 16–5–2017 व 17–5–2017 को अप्रार्थीगण से निवेदन करने के बाद भी अप्रार्थीगण ने तरमीम करवाने से इंकार कर दिया, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम आसोप चक द्वितीय तहसील भोपालगढ के खसरा नंबर 3804 व खसरा नंबर 4022/3004 के नक्शा किश्तवार मे पक्षकारान के खातेदारी मे आई भूमि को एवं कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुए नक्शा किश्तवार मे मौके पर जाकर जरीब चलाकर एवं नापचौक कर अलग अलग तरमीम किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया ।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई का नोटिस जारी कर दोनो पक्षो को सुनकर तथा तहसीलदार भोपालगढ से मौका रिपोर्ट तलब करने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–12–2019 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार कर तहसीलदार भोपालगढ को आदेशित किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कर प्रार्थी को आवंटित भूमि का राजस्व नक्शा मे अलग अलग तरमीम किये जाने का आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 23–12–2019 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 3804 मे ही खसरा नंबर 4022/3804 की तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया जबकि खसरा नंबर 3804 का रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा है और इतनी ही भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा इतनी भूमि ही मौके पर है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि मौके पर खसरा नंबर 4042/3804 की 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि है ही नही, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित कर खसरा नंबर 3804 की 25 बीघा 03 बिस्वा भूमि मे ही खसरा नंबर 4022/3804 की 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि सम्मलित करते हुए अलग अलग तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खसरा नंबर 3804 का सीमांकन ही नही करवाया जबकि बिना सीमांकन किये मौके पर खसरा नंबर 3804 की भूमि की वास्तविक जमीन का माप किये बिना ही खसरा नंबर 4022/3804 की भूमि को खसरा नंबर 3804 मे सम्मलित मानते हुए तरमीम करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि खसरा नंबर 3804 का नक्शा सेटलमेंट से अलग बना हुआ है तथा अलग ही खाते मे दर्ज है जिसमे खसरा नंबर 4022/3804 की भूमि दर्ज नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 3804 एवं 4022/3804 को एक ही खसरे मे समायोजित कर अलग अलग तरमीम करने का आदेश पारित कर विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने सेटलमेंट के करीब 70 वर्ष बाद तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमे देरी का कोई संतोषजनक कारण का उल्लेख नही था और न ही प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को पोषणीय मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधिक भूल की होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत होने मे हुई देरी के संबंध मे अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जानकारी समय पर नही होने का कारण तथा जानकारी होते ही तुरंत ही अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न रेस्पो0 मूलाराम द्वारा इजराय की कार्यवाही की आदेशिकाएं, तथा अधीनस्थ न्यायालय से तहसीलदार भोपालगढ से निर्णय की पालना हेतु तलब की गई रिपोर्ट पर निरीक्षक भू अभिलेख आसोप की रिपोर्ट दिनांक 13-7-2021 जिसमे भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23-12-2019 की पालना मे अडचन आना बताया है । अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 23-12-2019 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-12-2019 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 11-3-22 को अथार्त लगभग 2 वर्ष 3 माह विलंब से प्रस्तुत की है जबकि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व से ही थी इसलिए अपीलांट की अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज की जाने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी इस बहस के समर्थन मे आर.आर.डी 2009 पेज 150, आर.आर.डी. 2009 पेज 661, आर.आर.डी. 2015 (1) पेज 233 तथा आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117 की निर्णय नजीरें

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि ग्राम आसोप चक द्वितीय के खसरा नंबर 3804 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा भूमि वक़्त जागीर उनके खातेदारी की थी । उक्त भूमि को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 (वर्तमान अपीलांटगण) के पूर्व पुरूष को दे दिया था । ग्राम आसोप के खसरा नंबर 4022/3804 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा पूर्व मे वक्त बंदोबस्त सरकारी खाते मे काबिल काश्त आई हुई थी । उक्त भूमि पर वक्त बंदोबस्त से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा था लेकिन राजस्व कर्मचारियो की भूल से प्रार्थी के खातेदारी मे वक्त बंदोबस्त इन्द्राज होने से रह गई थी जिसे बाद मे तहसीलदार बिलाडा द्वारा आवंटन/नियमन किया था जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के पूर्व पुरूषो द्वारा आज से करीब 15 वर्ष पूर्व गांव के मौजूद मौतबिरान के अरूबरू उपरोक्त दोनो खसरान की पैमाईश कर माठे कायम की गई थी जिसका एक आपसी समझोता लिखत मे तैयार किया गया था जिसमे पक्षकारान व मौतबिरान के हस्ताक्षर भी कराये गये थे । पक्षकारान के दोनो खेत अलग अलग होने के बावजुद एवं दोनो के बीच माठ कायम होने के उपरांत भी राजस्व कर्मचारियो के द्वारा मात्र पास बुक मे तरमीम कर प्रार्थी को नक्शा दे दिया था लेकिन नक्शा लट्ठा ट्रेस मे भूलवश तरमीम करना रह गई थी जिसके लिए प्रार्थी ने राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार शिविर दिनांक 16–5–2017 व 17–5–2017 को अप्रार्थीगण से निवेदन करने के बाद भी अप्रार्थीगण ने तरमीम करवाने से इंकार कर दिया, जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे अपीलांट अधिवक्ता ने 2015 डी.एन.जे. सु.को.माननीय सुप्रिम कोर्ट पेज 593 की निर्णय नजीर एवं माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा सो मोटो रिट पीटीशन संख्या 3/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 10–1–2022 मे दिये गये अभिमत अनुसार अपीलांट की अपील को अंदर मयाद सुमार कर अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विधिवत पक्षकारो को सुनवाई करके तथा तहसीलदार से जांच रिपोर्ट आदि तलब कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–12–2019 का अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

वर्तमान अपील जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक दिनांक 23–12–2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे दिनांक 11–3–22 को अर्थात लगभग 2 वर्ष 3 माह विलंब से प्रस्तुत की है जिसके संबंध मे उभयपक्ष के अधिवक्ताओं

की बहस एवं उनके द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का अध्ययन करने उपरांत प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हुए उक्त अपील अंदर मयाद सुमार की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पत्रावली मे एक आपसी समझोता दिनांक 21–6–2002 जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी के पूर्व पुरूषो के बीच मौजूद मौतबिरान के अरूबरू आपसी समझोता हुआ जिसमे अपीलाधीन खसरा नंबर 3804 एवं 4022/3804 के मध्य की माठे कायम की जाने का उल्लेख है तथा उक्त समझोते मे अपीलांट दिनेश स्वयं एवं रेस्पो0 मूलाराम एवं मौतबिरान आदि के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है । हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक21–7–2019 अनुसार खसरा नंबर 4022/3804 के खातेदार मूलाराम पुत्र रामसुख जाति जाट द्वारा पूर्व मे काश्त किया जाना बताया गया है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे रेस्पो0 मूलाराम पुत्र रामसुख जाट निवासी आसोप के पक्ष मे खसरा नंबरान 4022/3804 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन आंदेश दिनांक 19–7–67 को होना, आवटंन के बाद रेस्पो0 मूलाराम के पक्ष मे स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 670, सेटलमेंट का पर्चा लगान, मूलाराम के नाम से जारी पासबुक आदि दस्तावेजात आदि दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 मूलाराम द्वारा प्रस्तुत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर उक्त खसरा नंबरान 3804 व 4022/3804 के नक्शा किश्तवार मे पक्षकारान के खातेदारी मे आई भूमि को कब्जा काश्त के मध्यनजर नाप चौक कर तरमीम करने का प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद रेकर्ड की जांच एवं पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनके समक्ष वर्तमान रेस्पो0 मूलाराम द्वारा प्रस्तुत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–12–2019 को पारित किया है, उक्त निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–12–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 6–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर